E-Mail

(105

पत्रांक– 17/विविध-11-19/2016 - 410 (अनु०)

बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक:- 17/03/2016

विषय:- विभागीय योजनाओं हेतु बिहार रैयती लीज नीति, 2014 के तहत भू-अर्जन करने के संबंध में

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में कहना है कि विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन के समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि बहुत सारी योजनाएँ भू-अर्जन का कार्य ससमय पूर्ण नही होने के कारण लंबित है। सम्यक विचारोपरांत विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के तहत भू-अर्जन की कार्रवाई सतत लीज (Perpetual Lease) पर की जाय। इस निमित निम्नांकित क्रमबद्ध प्रक्रिया अपनायी जाय:-

I. सभी कार्यपालक अभियंता कार्यान्वित परियोजनाओं के अन्तर्गत समीक्षा के उपरांत यह सुनिश्चित हो लेंगे कि जो भूमि आसानी से बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के अन्तर्गत प्राप्त की जा सकती है अर्थात जिस भूमि से संबन्धित रैयत भूमि देने से सहमत हो उन मामलों में लीज नीति के तहत भूमि प्राप्त करने की कार्रवाई करेंगे।

II. संबंधित कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा कि विभागीय पत्रांक- 1484 दिनांक:- 02.09.15 से गठित स्थल चयन समिति की बैठक करवाकर स्थल चयन की अनुसंशा प्राप्त कर संबंधित विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी को उपलब्ध करा देंगे।

III. संबंधित कार्यपालक अभियंता विहित प्रपत्र में रकबावार खेसरा सूची एव प्लान मैंप के साथ अधियाचना संबंधित विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगें।

IV. तदनुपरांत विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से भूमि लीज पर लेने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन विभाग से प्राप्त कर लेंगे। इस प्रस्ताव में आवश्यक भूमि का रकबा, लोक उद्धेश्य एव अनुमानित मूल्य का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

परन्तु रैयतों को लीज डीड निबंधित करवाने के वक्त लागू न्यूनतम बाजार दर (M.V.R) के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

शेष पृ० - 2 पर।

V. विभागीय अनुमोदन के पश्चात विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 1440 दिनांक- 13.11.14 द्वारा निर्गत संकल्प के अनुसार सतत लीज पर लेने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

VI. विभागीय अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी सतत लीज पर लगने वाली राशि के आवंटन की मांग कार्यपालक अभियंता से करेंगे। विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी आवंटन की प्रत्याशा में सतत लीज की प्रक्रिया जारी रखेंगे।

VII. अगर किसी लीज अभिलेख में कुछ रैयतों द्वारा सहमति नही दी जाती है तब भी उन रैयतों को छोड़कर अन्य शेष रैयतों के मामले में सतत लीज नीति की कार्रवाई की जायेगी।

VIII. ऐसे मामले जहाँ सतत लीज नीति के तहत भूमि अर्जन करना संभव न हो वैसे मामले को नये भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के तहत अधियाचना विहित प्रपत्र में संबंधित जिला भू-अर्जन को उपलब्ध करायेंगे।

IX. विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी आकस्मिक व्यय के रूप में परियोजना में लागत मुल्य का 0.5 प्रतिशत या 1,00,000/- रूपये जो भी कम हो अनुमानित लागत राशि में जोड़कर आवंटन प्राप्त करेंगे। इस राशि का उपयोग लेखन सामग्री, अन्य आकस्मिक खर्च जैसे वाहन, कम्प्यूटर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, मापक आदि मे करेंगे।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में सतत लीज पर भूमि प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय। सतत लीज नीति के तहत भू-अर्जन संबंधी अधियाचना का विहित प्रपत्र संलग्न है।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(अरूण कुमार सिंह)

प्रधान सचिव

सतत लीज नीति के तहत के भूमि का अर्जन हेतु अधियाचना का

<u>विहित प्रपत्र</u>

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,

....

सेवा में,

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी,

....

मैं .... परियोजना के लिए ग्राम-......, थाना नं0-......., जिला-..................., मैं रकबा .... एकड़ भूमि बिहार राज्य रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के तहत सतत लीज पर लेने हेतु आपसे अनुरोध करता हूँ। सतत लीज नीति पर ली जाने वाली भूमि का खेसरावार रकबा एवं प्लान मैप इस अधियाचना के साथ संलग्न है।

मैं सतत लीज में लगने वाली भूमि की लागत जमा करने को तैयार हूँ। मैं आपके द्वारा निर्धारित तिथि या समय पर लीज पर ली जाने वाली भूमि का तत्काल सीमाकंण करने तथा सभी आवश्यक सूचना एवं सहायता प्रस्तुत देने का वचन देता हूँ।

विश्वासभाज

(कार्यपालक अभियंता)